

श्रीमान् जी प्रार्थी का नाम ~~का~~ बिरासत के जरिये सहज से सुखपाल परधान वस्तादी के स्थान पर सुखपाल पुत्र बना कर ही गया है, जिस ग्राम कदमपुरा के खाता सं. 18 में सुखपाल के स्थान पर सुखपाल चौधरी उक्त बना जातिगत दुरस्त किया जाना उचित होगा।

[Signature]
व. न. वा. वा.

म. आ. आ. आ. के अनुसार

भू अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट

श्रीमान् जी, पटवारी रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजों के अनुसार दुरुस्ती किया जाना उचित है।

[Signature]
20/09/25
श. वि. वा. वा.

तहसीलदार की रिपोर्ट

फ. ह. रिपोर्ट व भू. अ. न. की जांच के आधार पर उरदनी की जांच की अनुशंसा की जाती है।

[Signature]
शिविर प्रभारी

2025
491

तहसीलदार (भू. अ.) नसीराबाद

प्रभारी अधिकारी "ग्रामीण सेवा शिविर-2025"

दिनांक:- 29-9-25

क्रमांक / 193

आदेश

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार से अभिलेख में दुरुस्ती हेतु निवेदन किया गया है एवं इस दुरुस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू. अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट व तहसीलदार नसीराबाद की अनुशंसा अनुसार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम कदमपुरा तहसील नसीराबाद की जमाबंदी सम्वत् 2074-77 के खाता संख्या 18 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टी को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	पूर्व इन्द्राज का विवरण			स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज		
	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा
1.	सुखपाल पुत्र बना दि. 1/9 जातिगत सा. जांदासेन शेख कदमपुर	उपरोक्त खाता सं. में वर्णित अनुसार		सुखपाल चौधरी पुत्र बना दि. 1/9 जाति-गाट सा. जांदासेन शेख कदमपुर	उपरोक्त खाता सं. में वर्णित अनुसार	

क्रमांक :- 5077-18

दिनांक :- 29-9-25



प्रतिलिपि :- 1. तहसीलदार नसीराबाद के पासनाथ प्रभारी अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद, जिला अजमेर
2. आदेश पत्रावली